

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग
अधिसूचना

संख्या-11नंवि० RERA विविध-08/2018 357 नंवि० एवं आ०वि०, पटना दिनांक-

Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 के प्रावधानों के तहत गठित Real Estate Appellate Tribunal, Bihar के कार्य सम्पादन हेतु अध्यक्ष एवं सदस्यों को निम्नवत नियुक्त किया जाता है :-

- | | | |
|--|---|------------------------|
| (i) श्री अरुण कुमार, माननीय न्यायाधीश (सेवा निवृत्त) | - | अध्यक्ष |
| (ii) श्री अरविन्द माधव, जिला एवं सत्र न्यायाधीश (सेवा निवृत्त) | - | न्यायिक सदस्य |
| (iii) श्री सी० ललसोता, भा०प्र०से० (सेवा निवृत्त) | - | प्रशासनिक/तकनीकी सदस्य |
- (2). प्रस्ताव में सक्षम स्तरीय अनुमोदन प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(चैतन्य प्रसाद)

सरकार के प्रधान सचिव,

नगर विकास एवं आवास विभाग।

ज्ञापांक-11नंवि० RERA विविध-08/2018 357 / नंवि० एवं आ०वि०, पटना, दिनांक- 8.3.2019

प्रतिलिपि- श्री अरुण कुमार, माननीय न्यायाधीश (सेवा निवृत्त)/श्री अरविन्द माधव, सेवा निवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश/श्री सी० ललसोता, सेवा निवृत्त भा०प्र०से० को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

8/3/2019

सरकार के प्रधान सचिव।